न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :— 04 / 2020

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
बचनाराम पुत्र स्व. श्री परबुराम उर्फ प्रभुराम, जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का बास, सोजती गेट, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. श्रीमति फुसीदेवी पुत्री स्व. परबुराम उर्फ प्रभुराम 2. श्रीमति भीकीदेवी पुत्री स्व. परबुराम उर्फ प्रभुराम जातियान मेघवाल निवासीगण मेघवालों का बास, सोजती गेट बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 3. रूपाराम पुत्र मुल्तानराम 4. मनोहरलाल पुत्र रूपाराम 5. नरपतराम पुत्र श्री रूपाराम जातियान मेघवाल, निवासी मेघवालों की ढीमड़ी बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 6. नेमीचन्द पुत्र दानाराम 7. किशोर पुत्र दानाराम 8. मायादेवी पुत्री दानाराम 9. जमुड़ी पत्नी स्व. श्री दानाराम जातियान मेघवाल निवासी बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 10. प्रेमदेवी पत्नी स्व. श्री ओमप्रका"। जाति मेघवाल निवासी बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 11. गोपाराम पुत्र श्री मुल्तानराम 12. श्रीमति गीतादेवी पत्नी श्रो हीराराम जातियान मेघवाल, निवासी बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थितिः— प्रार्थी की ओर से श्री बेणाराम पटेल अधिवक्ता।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री हेमन्त चौधरो अधिवक्ता।

अप्रार्थी संख्या 3 से 9 व 11 की ओर से श्री डी.डी.रामावत अधिवक्ता।

:: आदेश :: **दिनांक**

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:53 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3

तहसील बिलाड़ा में खसरा नम्बर 199 रकबा 157 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 263 रकबा 79 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 264 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 266 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 239 बीघा 02 बिस्वा आई हुई है। विवादग्रस्त जमीन में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 12 का 1/6 हिस्सा है व शेष 5/6 हिस्सा अन्य सहखातेदारों का है। जिनका कोई विवाद नही है। इस कारण अन्य सहखातेदारों को उक्त मुकदमा में पक्षकार नही बनाया जा रहा है। विवादग्रस्त जमीन पूर्व में खातेदार मल्तानराम पुत्र शिवदानराम का 1/6 हिस्सा निहित था, तत्प”चात् मुल्तानराम का देहान्त हो जाने के कारण नामान्तकरण संख्या 1556 उनके पुत्रान रूपाराम, दानाराम, गोपाराम के नाम तहसीलदार बिलाड़ा ने दिनांक 19.06.1975 को पारित किया गया। मुल्तानराम पुत्र ि”ावदान की मृत्यु होने के प”चात् एवं उनके फौतेदगी नामान्तरकरण पारित होने से पूर्व मुल्तानराम पुत्र शिवदान के पुत्रों व उनकी पत्नी की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण दिनांक 08.02.1972 को मुल्तानराम पुत्र ि”ावदान के पुत्रान रूपाराम व बहैसियत खुद व उनके भाई गोपाराम व दानाराम नाबालिग कुदरती वलिया माता ने विवादग्रस्त जमीन में से यानि मुल्तानराम पुत्र ि”ावदानराम की सम्पूर्ण रकबा में से 1/6 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि कुल भूमि का 1/12 वॉ हिस्सा का बैचान प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता प्रभुराम पुत्र श्री नवलाराम जाति मेघवाल निवासी बिलाड़ा को तहरीर व तकमील कर दिया व 1/12 वॉ हिस्से पर कब्जा सुपुर्द कर दिया तब से लगाकर आज दिन तक जब तक खरीददार प्रभुराम उर्फ परबुराम पुत्र नवलाराम का ही बतौर खातेदार का”तकार की हैसियत से 1/12 हिस्से यानि सम्पूर्ण भूमि में से 1/12 वॉ हिस्से पर काबिज का”त थे। चूंकि प्रभुराम पुत्र नवलाराम की आर्थिक स्थिति कमजोर व अनपढ होने के कारण नामान्तरकरण की कार्यवाही नही की गई, तत्प”चात् प्रभुराम उर्फ परबुराम का देहानत हो गया। तत्प”चात् विवादग्रस्त जमीन पर उनके एकमात्र पुत्र प्रार्थी बचनाराम व जब तक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जो बचनाराम की बहिने है वो भी काबिज रही व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के ससुराल जाने के प”चात् विवादग्रस्त जमीन पर वादी बतौर खातेदार का”तकार की हैसियत से जब उनके पिता प्रभुराम खरीद की, तब से लगाकर आज दिन तक विवादग्रस्त जमीन यानि कुल रकबा 38.6864

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:53 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टेयर भूमि या 239 बीघा 02 बिस्वा भूमि में से 1/12 वा हिस्से में खरीदसुदा जमीन पर काबिज है। विवादग्रस्त जमीन पर प्रार्थी को जब अपने पिता दिनांक 08.02.1972 को खरीद की तब से विवादग्रस्त जमीन पर खातेदार का”तकार की हैसियत से अधिकार उत्पन्न हो गये है। क्योकि किसी भी का”तकार को विवादग्रस्त जमीन खरीद करने के उपरान्त ही अधिकार मिलते है या पैतृक जमीन में घर में जन्म लेने से। इस प्रकार प्रार्थी विवादग्रस्त जमीन में अपने पिता द्वारा खरीद करने के प”चात् खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गये है व आज भी कायम है। विवादग्रस्त जमीन प्रार्थी के पिता द्वारा खरीदने के प”चात् किसी कारणव”ा या कोई फौजदारी मुकदमा हो जाने के कारण नामान्तरकरण की कार्यवाही नही की, जबकि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिसीकल प्रोसेड़िंग है। नामान्तकरण करवाने या नही करवाने से किसी प्रकार के हको में कोई विपरित प्रभाव नही पड़ता है। चूंकि प्रार्थी के पिता अत्यन्त ही गरीब व अनुसूचित जाति व कानून की अनभिज्ञता रहने के कारण व बैचान करवाने के कारण किसी कारणव”ा नामान्तरकरण नही हुआ तो भी प्रार्थी के अधिकारों पर कोई फर्क नही पड़ता। विवादग्रस्त जमीन कुल खसरा 4 कुल रकबा 38.6864 हैक्टेयर भूमि यानि 239 बीघा 02 बिस्वा भूमि में से 1/6 हिस्सा प्रार्थी के पिता प्रभुराम पुत्र नवलाराम ने दिनांक 08.02.1972 को खरीद की थी, इस जमीन में 5/6 हिस्सा अन्य सहखातेदारों का है, जिसका कोई विवाद नही है। विवाद नही होने के कारण उनको पक्षकार मुकदमा नही बनाया जा रहा है। शेष 1/6 हिस्सा मुल्तानराम पुत्र ि”ावदान का 1/6 हिस्सा सम्पूर्ण विवादग्रस्त जमीन में निहित था व मुल्तानराम पुत्र ि”ावदान के फौतेदगी म्यूटे”ान पारित होने से पूर्व व मुल्तानराम पुत्र शिवदान की मृत्यु के प”चात् उनके वारिसानों ने विवादग्रस्त सम्पूर्ण विवादग्रस्त जमीन में से 1/6 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण भूमि में से 1/12 वॉ हिस्सा प्रार्थी के पिता ने खरीद किया। विवादग्रस्त जमीन को प्रतिवादी संख्या 3 रूपाराम पुत्र मुल्तानराम ने दिनांक 08.02.1972 को प्रार्थी के पिता प्रभुराम को बैचान करने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 3 अपना हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 व 5 को [illegible] जरिये बख्शी”ा किया है, वो भी गलत व निराधार है अपने [illegible] अधिकार का किया गया बख्शी”ानामा कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही। चूंकि रूपाराम का विवादग्रस्त जमीन

Signature Not Verified
Digitally signed by BhawaniSingh
Date: 2022.02.03 16:11:53 IST
Reason: SelfAttested

में 1/36 वॉ हिस्सा ही बनता है, 1/36 हिस्से से अधिक बख्शी”ा की गई भूमि का कानून में कोई महत्व नही है व कानून में बेअसर व शून्य है। ऐसे बख्शी”ानामें से कोई कानूनन अधिकार उत्पन्न नही होते है। ऐसे बख्शी”ानामा को चैलेंन्ज करने की भी कोई आव”यकता नही है। विवादग्रस्त जमीन में 1/6 हिस्स में मुल्तानराम पुत्र ”िावदान का हिस्सा था उसमें से उनके पत्रों व वारिसों ने 1/6 हिस्से में से आधा हिस्सा यानि 1/12 वॉ हिस्सा दिनांक 08.02.1972 को खरीद किया। इसी अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्रार्थी करवाने का अधिकार है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में बताई गई भूमि में प्रार्थी के कब्जे का”त में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 से 12 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 से 2 की ओर से श्री हेमन्त चौधरी अधिवक्ता ने मूलवाद में वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 से 7 व 9 तथा 11 की ओर से श्री डी.डी. रामावत अधिवक्ता ने मूलवाद में वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 8, 10, 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

अप्रार्थी संख्या 1 से 2 की ओर से जवाब पे”ा किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 1 से 11 सही होने से स्वीकार है। विवादग्रस्त जमीन में स्व. श्री मुल्तानराम की सम्पूर्ण रकबा में से 1/6 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण भूमि में 1/12 वॉ हिस्सा प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता प्रभुराम पुत्र नवलाराम का बैचान की गई, तब से लगाकर आज दिन तक खरीददार के यानि प्रभुराम पुत्र श्री नवलराम जी के वारिसानों का कब्जा है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कोई आपति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:53 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 3 से [illegible] तथा 11 की ओर से जवाब मय काउण्टर प्रार्थना पत्र पे”ा किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पद संख्या 1 अप्रार्थीगण से सम्बन्धित नही है। पद संख्या 2 जिस कदर

लिखा गया गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त जमीन खसरा संख्या 199, 263, 264, 266 कुल रकबा 239 बीघा 02 बिस्वा कस्बा बिलाड़ा चक नम्बर 3 में स्थित है जिसका प्रार्थी अथवा उसके परिवार वालों अथवा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कतई कोई हक, अधिकार, उजर, दखल अथवा कब्जा नही है न ही इस भूमि से इन लोगो का सरोकार ही रहा है न मौके पर इस भूमि के किसी भी हिस्से पर कभी भी किसी भी रूप में उनका कोई कब्जा अथवा दखल ही रहा है। वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में सभी सहखातेदार एवं भूमिधारी तहसीलदार बिलाडा कानूनन आव”यक पक्षकार है। जिन्हे प्रार्थी ने जानबुझकर वाद व प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया है। जबकि प्रार्थी के स्वयं के कथनानुसार सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि के 5/6 हिस्से पर अन्य सहखातेदारान काबिज है। ऐसी द”ाा में व प्रार्थना पत्र प्रार्थी आव”यक पक्षकार के असंयोजन के कारण कानूनन पोषणीय नही है तथा खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 3 सही होने से स्वीकार है। वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में दिनांक दायरी दावा तक कई नामान्तकरण भरे जाकर स्वीकृत किये गये तथा जिनका अंकन किया जाकर सम्बंधित पक्ष का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जो राजस्व रेकर्ड से प्रमाणित है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि में से स्व. मुल्तानराम के परिवार अथवा उनके उतराधिकारीगण द्वारा विवादित जमीन को बैचान करने की कतई कोई जायज आव”यकता नही थी, न उन्होने अपने जीवनकाल में कभी कोई बैचान पत्र वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में तकमील ही किया है, न ही प्रार्थी अथवा उसके पूर्वजों को वादग्रस्त जमीन के किसी भी हिस्से का कोई कब्जा ही सुपुर्द किया, न वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में कोई प्रतिफल की रा”ि ही अप्रार्थीगण अथवा उनके पूर्वजो ने प्राप्त की है। प्रार्थी द्वारा कथित बैचान दस्तावेज दिनांक 08.02.1972 बैनामी दस्तावेज है तथा किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने उक्त सव्यवहार धोखे से करवाया तथा उक्त दस्तावेज कानून की नजर में शून्य दस्तावेज की परिभाषा में सुमार है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन मात्र से ऐसा बखूबी साबित है। दस्तावेजात् में दो [illegible] द”ार्या गया है जबकि इस सम्बंध में नाबालिग के हित में [illegible] किया जाना इस कदर जायज था। ऐसे किसी [illegible] अंकन भी दस्तावेज में नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:53 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेज नाबालिग हितों के विपरित कानून के प्रभावी उपबंधो को अनदेखा कर साजि"ाी तौर पर तत्कालीन किसी तथ्य व्यक्ति के द्वारा साजि"ाी तौर पर बैनामी तौर पर तैयार करवा लिया जबकि उक्त दस्तावेज शून्य प्रभावी दस्तावेज होने के कारण वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में क्रेता ने आज दिन तक कतई कोई नामान्तरकरण की कार्यवाही अथवा बंटवाडा अथवा कब्जा प्राप्ति हेतु कोई वाद दिनांक दायरी दावा तक पे"ा नही किया तथा अब ऐसी कार्यवाही करने में न तो वादी सक्षम है न उक्त दस्तावेज के आधार पर कोई वाद कारण प्रार्थी को उत्पन्न ही होता है तथा इस कथित दस्तावेज के आधार पर कोई वाद दायरी हेतु प्रार्थी की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। ऐसी द"ाा में हर हाल में मौजूदा वाद व प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है। कथित बैचान पत्र दिनांक 08.02.1972 शून्य प्रभावी दस्तावेज है तथा सम्पति अन्तरण अधिनियम के उपबंधो के विपरित है तथा कब्जे व प्रतिफल के अभाव में उक्त अन्तरण सर्वथा शून्य है। जिसे रद्द करवाने हेतु अप्रार्थीगण की ओर से अलग से सक्षम न्यायालय में वाद पे"ा किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 6 से 8 गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि के अप्रार्थीगण नि"चायक रूप से काबिज खातेदार है तथा अभिलिखित खातेदार को का"तकारी अधिनियम में अन्तर्णीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी द"ाा में अभिलिखित सहखातेदार द्वारा कोई भी विधि अनुसार किया गया अन्तरण सभी प्रकार से वैद्य व प्रभावो है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 9 व 10 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नही बनता तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई भी बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नही है।

अप्रार्थी संख्या 3 से 7 व 9 तथा 11 की ओर से काउण्टर प्रार्थना पत्र पे"ा किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कथित अवैध व शून्य बैचान दस्तावेज दिनांक 08.02.1972 को दावा का आधार दस्तावेज द"ार्ाकर जाहिर किया कि विवादित भूमि में 1/12 हिस्सा उनका खरीदसुदा है। जबकि उक्त कथित बैचान दस्तावेज नाबालिगान की ओर से बिना किसी प्रतिफल व कानूनी आवश्यकता के अन्तरण के साजि"ातौर पर तैयार किया गया है जो सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 42 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:21:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रावधानों के विपरित है। अन्त में काउण्टर प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर काउण्टर प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण विरूद्ध प्रार्थी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण के कब्जे का”त में तथा इस भूमि के किसी भी हिस्से पर अप्रार्थीगण के कब्जे का”त में किसी भी रिती से न तो प्रार्थी स्वयं दखल करे और न ही अन्य किसी व्यक्ति के मार्फत दखल करावे।

अप्रार्थी संख्या 3 से 7 व 9 तथा 11 की ओर से प्रस्तुत काउण्टर प्रार्थना पत्र का प्रार्थी की ओर से जवाबुल जवाब पे”ा कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत काउण्टर प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :–

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :– प्रकरण के अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति अपने पक्ष में साबित करने का भार प्रार्थी पर है। जिस बाबत् विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी ने वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि विवादग्रस्त भूमि में पूर्व खातेदार मूल्तानराम पुत्र शिवदानराम का 1/6 हिस्सा निहित था, तत्पश्चात् मुल्तानराम का देहान्त हो जाने के कारण नामान्तकरण संख्या 1556 उनके पुत्रान रूपाराम, दानाराम, गोपाराम के नाम से तहसीलदार बिलाडा ने दिनांक 19.06.1975 को पारित किया गया। मुल्तानराम पुत्र शिवदान की मृत्यु होने के पश्चात् उनके फातेदगी नामान्तरकरण पारित होने से पूर्व मूल्तानराम पुत्र शिवदान के पुत्रों व उनकी पत्नी की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण दिंनाक 08.02.1972 को मुल्तानराम पुत्र शिवदान के पुत्रान रूपाराम व बहैसियत खुद व उनके भाई गोपाराम व दानाराम नाबालिग कुदरती वलिया माता ने वादग्रस्त जमीन में से यानि मुल्तानराम पुत्र शिवदानराम की सम्पूर्ण रकबा में से 1/6 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि 1/12 वॉ हिस्सा का बैचान प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रभुराम नाम तहरीर व तकमील कर दिया व कब्जासुपुर्द कर दिया। खरीददार प्रभुराम अनपढ होने के कारण नामान्तरकरण की कार्यवाही नही की गई। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिसीकल प्रोसेडिंग है। नामान्तरकरण करवाने या नही करवाने से किसी प्रकार के हको में कोई विपरित प्रभाव नही पड़ता है। इस प्रकार प्रार्थी ने अन्त में निवेदन किया कि पार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो मूलवाद के निस्तारण तक उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 से 7 9 तथा 11 के अधिवक्ता ने अपने जवाब एवं काउण्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में से स्व. मूलतानराम के परिवार अथवा उनके उतराधिकारीगण द्वारा विवादित जमीन को बैचान करने की कतई कोई जायज आवश्यकता नही थी, न उन्होने अपने जीवनकाल में कभी कोई बैचान पत्र वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में तकमील ही किया है न ही वादग्रस्त भूमि का कब्जा ही सुपुर्द किया है। प्रार्थी द्वारा कथित बैचान दस्तावेज दिनांक 08.02.1972 बेनामी दस्तावेज है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में क्रेता ने आज दिन तक कतई कोई नामान्तरकरण की कार्यवाही अथवा बंटवाड़ा अथवा कब्जा प्राप्ति हेतु कोई वाद दिनांक दायरी दावा तक पेश नही किया है। बैचाननामा दिनांक 08.02.1972 शुन्य प्रभावी दस्तावेज है तथा सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के विपरित है। अन्त में जवाब मय काउण्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर काउण्टर प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण विरूद्ध प्रार्थी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में तथा इस भूमि के किसी भी हिस्से पर अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी भी रिती से न दखल नही करे। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पूर्वज प्रभुराम पुत्र करनाराम जी उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के सद्भावी क्रेता है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है एवं प्रार्थी उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर काबिज होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को [illegible]न बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:53 IST
Reason: Self-Attested

को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही होगा। इसलिए अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भो प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ताफैसला दावा ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा में खसरा नम्बर 199 रकबा 157 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 263 रकबा 79 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 264 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 266 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 239 बीघा 02 बिस्वामें से प्रार्थी के 1/12 वॉ हिस्से में प्रार्थी के कब्जे का"त में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:11:53 IST
Reason: SelfAttested